न्यायालयः– प्राची शर्मा उपाध्याय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शिवपुरी (म.प्र.)

कमांक– 742 **शिवपुरी, दिनांक–08.08.2026**

।। आंशिक संशोधित आपराधिक कार्य विभाजन आदेश वर्ष 2026 ।।

मैं प्राची शर्मा उपाध्याय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला शिवपुरी, म.प्र., माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के परिपत्र क. 8565/तीन–2–3/74 दिनांक 12/03/1977 के निर्देशानुसार तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा–12 एवं 13 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कार्य एवं प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से, इस न्यायालय के आपराधिक कार्य विभाजन आदेश कमांक 15 दिनांक 09.01.2026 में आंशिक संशोधन करती हूं ::–

क्र.	नाम मजिस्ट्रेट	क्षेत्राधिकार का थाना/विभाग	रिमार्क/अनुदेश
1.	2.	3.	4.
19.	श्री विकास विश्वकर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पिछोर जिला–शिवपुरी	**आरक्षी केन्द्र** **1. मायापुर (राजस्व तहसील पिछोर की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत)** **2. आबकारी (राजस्व तहसील पिछोर की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत)**	1. आरक्षी केन्द्र मायापुर (राजस्व तहसील पिछोर की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत) एवं आबकारी वृत्त पिछोर (राजस्व तहसील पिछोर की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत) के अंतर्गत एवं उससे उत्पन्न अभियोग पत्र, परिवाद पत्र, निजी परिवाद पत्र और उनसे उत्पन्न अनुषांगिक/विविध कार्यवाहियां और अंतिम प्रतिवेदन (एफ.आर.)। 2. आरक्षी केन्द्र मायापुर (राजस्व तहसील पिछोर की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत) के क्षेत्राधिकार में उत्पन्न स्वापक औषधियां और मन :प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के अंतर्गत न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय अपराध के मामले। 3. आरक्षी केन्द्र मायापुर (राजस्व तहसील पिछोर की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत) की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत उत्पन्न धारा–138 परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 के अधीन अपराध एवं उनसे उत्पन्न अनुषांगिक कार्यवाहियां। 4. नापतौल विभाग, श्रम विभाग, खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग और ऐसे विभागों के

			निरीक्षकों तथा सक्षम प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तुत अभियोग पत्र/ परिवादपत्र एवं उनसे उत्पन्न अनुषांगिक/विविध कार्यवाहियां। 6. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर अंतरित किए गए और निर्देशित किए गए आपराधिक मामले और उनसे उत्पन्न आनुशांगिक कार्यवाहियां।
21.	श्रीमती दीक्षा अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पिछोर जिला–शिवपुरी	**आरक्षी केन्द्र** **1. भौंती**	1. आरक्षी केन्द्र भौंती के अंतर्गत एवं उससे उत्पन्न अभियोग पत्र, परिवाद पत्र, निजी परिवाद पत्र और उनसे उत्पन्न अनुषांगिक/विविध कार्यवाहियां और अंतिम प्रतिवेदन (एफ. आर.)। 2. आरक्षी केन्द्र भौंती के क्षेत्राधिकार में उत्पन्न स्वापक औषधियां और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के अंतर्गत न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय अपराध के मामले। 3. तहसील पिछोर के समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम/द्वितीय श्रेणी पिछोर एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पिछोर के **रिक्त न्यायालयों** में विचाराधीन आपराधिक प्रकरणों के संबंध में जारी किये गये स्थायी गिरफ्तारी वारण्ट, अर्थदण्ड की वसूली, प्रतिकर की अदायगी तथा माननीय अपीलीय न्यायालयों से प्राप्त होने वाले आपराधिक प्रकरणों की कार्यवाही तथा इसी प्रकार की समस्त आपराधिक कार्यवाहियां होने पर उसका विधिवत निराकरण करेंगे। 4. आरक्षी केन्द्र भौंती के अंतर्गत धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 के अंतर्गत अपराध से संबंधित परिवाद पत्र एवं उनसे उत्पन्न अनुशांगिक कार्यवाहियां। 5. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर अंतरित किए गए और निर्देशित किए गए आपराधिक मामले और उनसे उत्पन्न आनुशांगिक कार्यवाहियां।

//अनुसूची कमांक 01//

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 183/दंड प्रकिया संहिता की धारा 164 के अधीन साक्षीगण एवं अभियुक्तों के कथन एवं संस्वीकृति को लेखबद्ध किये जाने हेतु

निम्नलिखित व्यवस्था की जाती है :–

क	आरक्षी केन्द्र	प्रथम प्रभारी न्यायालय का नाम	द्वितीय प्रभारी न्यायालय का नाम	तृतीय प्रभारी न्यायालय का नाम	चतुर्थ प्रभारी न्यायालय का नाम
01	02	03	04	05	06
1.	पिछोर	श्री विकास विश्वकर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पिछोर	सुश्री दीक्षा अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पिछोर	सुश्री मोनिका वर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खनियाधाना	सुश्री अंजना यादव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, खनियाधाना
2.	मायापुर (राजस्व तहसील पिछोर की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत)	सुश्री दीक्षा अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पिछोर	सुश्री मोनिका वर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खनियाधाना	सुश्री अंजना यादव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, खनियाधाना	श्री रज्नेश पाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, करैरा
3.	1. आबकारी (राजस्व तहसील पिछोर की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत) 2. भौंती	श्रीमती प्रियंका विश्वकर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पिछोर	सुश्री मोनिका वर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, खनियाधाना	सुश्री अंजना यादव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, खनियाधाना	सुश्री काजल रेनीवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, करैरा
4.	आरक्षी केंद्र पिछोर, भौंती, मायापुर (राजस्व तहसील पिछोर की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत) के अंतर्गत भारतीय न्याय संहिता 2023 के अध्याय 5 में उल्लेखित महिलाओं के विरूद्ध अपराधों एवं भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 304–बी, 354, 354–ए, 354–बी,	सुश्री दीक्षा अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पिछोर	श्री विकास विश्वकर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पिछोर	सुश्री अंजना यादव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, खनियाधाना	सुश्री मोनिका वर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, खनियाधाना

	354–सी, 354–डी, 366–ए, 366–बी, 372, 373, 375, 376–ए लगायत 376–ई, 494, 495, 496, 498 एवं 498–ए एवं उनसे उद्भूत महिला अपराध से संबंधित आपराधिक प्रकरण				

यह कार्य विभाजन आदेश दिनांक 12/08/2026 से अन्य आदेश होने तक प्रभावशील होगा।

अनुमोदित

(प्राची शर्मा उपाध्याय)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला शिवपुरी म0प्र0

(Rajendra Prasad Soni)
Principal District & Sessions Judge
Shivpuri (M.P.)

पृष्ठांकन क.– 762 शिवपुरी, दिनांक– 12/08/26

प्रतिलिपि :–

01– माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, जिला–शिवपुरी की ओर अवलोकनार्थ सादर प्रेषित।

02– समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, पिछोर/खनियाधाना/करैरा, जिला शिवपुरी म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।

03– पुलिस अधीक्षक जिला–शिवपुरी की ओर संबंधित थाना प्रभारियों को संसूचित करने बाबत्।

04– सहायक अभियोजन अधिकारी, पिछोर/खनियाधाना/करैरा, जिला शिवपुरी म.प्र. की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

05– अध्यक्ष, अभिभाषक संघ, पिछोर/खनियाधाना/करैरा, जिला शिवपुरी म.प्र. की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

06– सिस्टम ऑफिसर, सर्वर रूम शिवपुरी, की ओर उक्त आदेश की प्रतिलिपि ई–मेल/मैसेज के माध्यम से संबंधितों को प्रेषित किये जाने एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(प्राची शर्मा उपाध्याय)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला–शिवपुरी, (म.प्र.)